फर्द अहकाम

हीरालाल बनाम तहसीलदार

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:- 26/2025 द (प)

क्र. स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि...
		कुछ दावा निर्णीत रहते हुए लिखित निर्णय पत्रावली वास्ते साक्ष्य 20/11/25 को पेश हो 17/11/25	
	20/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए, जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्षी ने हस्ताक्षर अंकित किए। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24/11/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी फागी	गवा... [illegible]
	24/11/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाता है। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी	[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:— 26 / 2025
निर्णय दिनांक:— 24.11.2025
पीठासीन अधिकारी:—राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. हीरालाल पुत्र चन्दाराम
2. सायरलाल पुत्र चन्दाराम समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:— श्री राजेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:—24.11.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 93 के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खाता संख्या 92 के खसरा नम्बर 391, 392, 393, 394, 395, 396 / 1, 396 / 2, 397, 398, 399, 412, 413, 414, 512, 513 कुल किता 15 कुल रकबा 8.1056 हैक्टेयर, खाता संख्या 219 के खसरा नम्बर 289 / 2, 291 / 1, 291 / 2, 292 / 2, 294 / 3, 295 कुल किता 6 रकबा 0.8220 हैक्टेयर, खाता संख्या 173 के खसरा नम्बर 351 रकबा 1.5174 हैक्टेयर, खाता संख्या 123 के खसरा नम्बर 296, 514 / 2 किता 2 रकबा 2.1117 की भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित हैं। जिसमें वादीगण की खातेदारी हीरालाल पुत्र रामचन्द्र व सायरलाल पुत्र रामचन्द्र के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि को आगे के पैराज में विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया है। वादीगण के स्वर्गीय पिता को दो नामों चन्दाराम व रामचन्द्र के नाम से जाना पहचाना जाता था जिसके आधार पर ग्राम श्रीरामगंज की खातेदारी भूमि में वादीगण की वल्दियत रामचन्द्र के नाम से है जबकि खाता संख्या 33 के खसरा नम्बर 68 रकबा 0.8978 हैक्टेयर की भूमि वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में वादीगण की वल्दियत चन्दा के नाम से दर्ज है। इस प्रकार वादीगण की वल्दियत चन्दाराम व रामचन्द्र के नाम से है। वादीगण के सभी राजकीय दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, श्रमिक कार्ड इत्यादि में वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी

के पिता का नाम चन्दाराम दर्ज है और उसी अनुसार वादपत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादीगण के पिता का नाम रामचन्द्र की जगह चन्दाराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। चूंकि वादीगण के पिता अनपढ़ थे तथा कानूनी जानकारी नहीं थी इसलिये उन्होनें कभी अपना नाम ठीक करवाने की कार्यवाही भी नहीं की और बाद में उनका भी देहान्त हो गया जिनकी विरासत का वादीगण के नाम उसी वल्दियत अनुसार भरकर तस्दीक कर दिया गया और तदनुसार खातेदारी भी दर्ज हो गई जिस पर वादीगण ने आवश्यकता होने पर के. सी.सी. ऋण ले लिया। अभी राज्य सरकार के द्वारा बनवाई जा रही फार्मर आई डी के वक्त जब वादीगण ने प्रतिवादी के समक्ष चाराजोही की तो प्रतिवादीगण ने उक्त आई डी बनाने से साफ इंकार कर दिया और कहा कि जब तक वादीगण की वल्दियत रामचन्द्र की जगह चन्दाराम नहीं होगी तब तक वादीगण की उक्त फार्मर आई डी नहीं बन सकती जिस पर दिनांक 07.03.2025 को वादीगण ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रतिवादी से कहा कि वह उक्त गलत वल्दियत को दुरुस्त कर देवें जिस पर प्रतिवादी ने इंकार करते हुए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहा जिस पर उक्त वाद मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण के पति/पिता की मृत्यु को लगभग 18 वर्ष हो चुके है जिनका मृत्यु प्रमाणपत्र भी उक्त दोनों नामों चन्दाराम उर्फ रामचन्द्र के नाम से जन्म मृत्यु रजिस्टार के द्वारा जारी किया गया है साथ ही ग्राम जगन्नाथपुरा की आराजी भूमि में भी वादीगण के पिता का नाम चन्दा दर्ज है इसके अलावा वादीगण के सभी दस्तावेजों में भी उनके पिता का नाम चन्दाराम दर्ज है इस प्रकार ग्राम श्रीरामगंज की उक्त आराजी में भी वादीगण के पिता का नाम चन्दाराम दर्ज होना चाहिये जो कि न्यायहित में आवश्यक है जिसे दुरुस्त करवाने हेतु वादीगण ने उपरोक्त वाद बावत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया है। उक्त विवादित भूमि की खातेदारी में वादीगण की सही वल्दियत चन्दाराम की जगह रामचन्द्र दर्ज होने से वादीगण उक्त भूमिः के बाबत् कोई सरकारी सुविधा प्राप्त करने से वंचित हो रहे है, जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ग्राम श्रीरामगंज में हीरालाल, सायरलाल पुत्रान चन्दाराम व हीरालाल, सायरलाल पुत्रान रामचन्द्र नाम के अन्य कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही कोई पैदा हुए है इस आधार पर उक्त वाद डिक्री किये जाने योग्य है। उपरोक्त आशय बाबत जब वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष गये और उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने बाबत कहा गया तो वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ जो कि मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होकर आज दिन तक निरन्तर जारी है जिस पर उक्त वाद अवधि अन्तर्गत प्रस्तुत है। प्रतिवादी जो राज्य सरकार का प्रतिनिधी है जिसें कानूनन धारा 80 सीपीसी के तहत् नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं लेकिन चूंकि वाद इन्द्राज दूरस्ती है, फिर भी धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। विवादित भूमि एवं पक्षकारान का निवास स्थान ग्राम श्रीरामगंज

उपखण्ड अधिकारी

तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय में प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा अपना जवाब पेश किया। अपने जवाब के तथ्यो में बताया कि वर्तमान जमाबंदी ग्राम श्रीरामगंज के खाता सं. 93 के आराजी खसरा नं. 293 रकबा 0.0253 हैक्टेयर खाता सं. 92 के ख0नं0 391, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399, 412, 414, 512, 513 कुल किता 14 कुल रकबा 8.1056 हैक्टेयर खाता सं0 219 खसरा नं. 289/2, 291/1, 291/2, 292/2, 294/3, 295 कुल किता 6 कुल रकबा 0.8220 हैक्टेयर खाता सं0 173 खसरा नं. 351 रकबा 1.5174 हैक्टेयर, खाता सं0 123 के खसरा नं. 296 व 514/2 किता 2 कुल रकबा 2.1117 हैक्टेयर भूमि में वादीगणों का नाम सायरलाल पुत्र रामचन्द जाति बैरवा सा. देह व हीरालाल पुत्र रामचन्द जाति बैरवा सा. देह दर्ज रिकार्ड है। ग्राम श्रीरामगंज में नामान्तकरण सं. 812, 813 के द्वारा रामचन्द्र पुत्र कल्याण के फौत होने पर सायरलाल, हीरालाल पि. स्व रामचन्द्र के नाम दिनांक 20.04.2010 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसी प्रकार ग्राम जगन्नाथपुरा में नामान्तकरण सं. 101 बेचान पत्र के द्वारा गोरधन पुत्र नारायण कौम बैरवा से धन्ना, चन्दा, रामकरण, पांचुराम, मंगलराम व ग्यारसीलाल पि. श्रीकल्याण जाति बैरवा सा. श्रीरामगंज के दिनांक 10.05.1996 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया था। दिनांक 31.10.2025 को ग्राम श्रीरामगंज के मजमेआम मे तैयार किया गया मौका पर्चा में मजमेआम में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा रामचन्द्र व चन्दाराम को दो अलग—अलग व्यक्ति न बताकर एक ही व्यक्ति होना बताया गया है व मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक का नाम चन्दाराम उर्फ रामचन्द्र बैरवा होना बताया गया है। मौका पर्चा अनुसार हीरालाल, सायरलाल पुत्रान चन्दाराम व हीरालाल, सायरलाल पुत्रान रामचन्द्र दोनो एक ही व्यक्ति होना पाया गया है। पटवार हल्का नीमेडा से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.10.2025 के अनुसार ग्राम श्रीरामगंज के निवासी रामचन्द्र को ही चन्दाराम नाम से बुलाया जाता था। चन्दाराम व रामचन्द्र अलग—अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति था। हीरालाल व सायरलाल के पिता का बोलता नाम रामचन्द्र था व अन्य दस्तावेजों में चन्दा था। पटवार हल्का नीमेडा से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार विचाराधीन उक्त प्रकरण में नाम दुरूस्ती की अभिशंषा की जाती है।

वादी के अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी हेतु स्वयं वादी हीरालाल पुत्र चन्दाराम का शपथ पत्र पी.डब्लू 1 व ग्यारसीलाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम श्रीरामगंज का शपथ पत्र पी डब्यू 2 पेश किया। गवाह स्वयं उपस्थित हुए। शपथ पत्र में बताया कि वादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हीरालाल, सायरलाल पिसरान रामचन्द्र के

उपखण्ड अधिकारी
फागी

स्थान पर हीरालाल, सायरलाल पिसरान चन्दाराम दुरूस्त किये जाने के समर्थन में पेश किया है जो सही एवं सत्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 वाके ग्राम श्रीरामगंज मे स्थित है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट ग्राम श्रीरामगंज के निवासी रामचन्द्र को ही चन्दाराम नाम से बुलाया जाता था। चन्दाराम व रामचन्द्र अलग—अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति था। हीरालाल व सायरलाल के पिता का बोलता नाम रामचन्द्र था व अन्य दस्तावेजों में चन्दा था। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र में चन्दाराम दर्ज है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय वादीया का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 93 के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खाता संख्या 92 के खसरा नम्बर 391, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399, 412, 413, 414, 512, 513 कुल किता 15 कुल रकबा 8.1056 हैक्टेयर, खाता संख्या 219 के खसरा नम्बर 289/2, 291/1, 291/2, 292/2, 294/3, 295 कुल किता 6 रकबा 0.8220 हैक्टेयर, खाता संख्या 173 के खसरा नम्बर 351 रकबा 1.5174 हैक्टेयर, खाता संख्या 123 के खसरा नम्बर 296, 514/2 किता 2 रकबा 2.1117 की भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन वादीगण के पिता का नाम रामचन्द्र के स्थान पर चन्दाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/11/25

(मुकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

हीरालाल वगै0 बनाम तहसीलदार
मु0नं0:– 26 / 2025
निर्णय दिनांक:– 24.11.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. हीरालाल पुत्र चन्दाराम
2. सायरलाल पुत्र चन्दाराम समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादी

–:: वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0नं0:– 26 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री राजेन्द्र कुमार जैन हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 93 के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खाता संख्या 92 के खसरा नम्बर 391, 392, 393, 394, 395, 396 / 1, 396 / 2, 397, 398, 399, 412, 413, 414, 512, 513 कुल किता 15 कुल रकबा 8.1056 हैक्टेयर, खाता संख्या 219 के खसरा नम्बर 289 / 2, 291 / 1, 291 / 2, 292 / 2, 294 / 3, 295 कुल किता 6 रकबा 0.8220 हैक्टेयर, खाता संख्या 173 के खसरा नम्बर 351 रकबा 1.5174 हैक्टेयर, खाता संख्या 123 के खसरा नम्बर 296, 514 / 2 किता 2 रकबा 2.1117 की भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन वादीगण के पिता का नाम रामचन्द्र के स्थान पर चन्दाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज..........X..........मुवलिग..........X..........बाबत..........X..........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X..........फीसदी..........X..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..X........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.11.2025 को जारी की गई।

24/11/25

उपखण्ड अधिकारी
ओहदा.........फागी

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

24/11/25

उपखण्ड अधिकारी
फागी
फागी जिला जयपुर